[2019] 9 एस. सी. आर 1140

ब्राह्मणी नदी पट्टिकाएँ सीमित

वी.

कामाची उद्योग सीमित

(2019 की सिविल अपील No.5850)

25 जुलाई, 2019

[आर. भानुमति और ए. एस. बोपन्ना, जे. जे.]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996। 2 (1) (ई), 2 (2), 11 (6) और 20-अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी के साथ एक समझौता किया

एफ. ओ. बी. शर्तों पर 40,000 डब्ल्यू. एम. टी. (वेट मीट्रिक टन) लौह अयस्क छर्रों की बिक्री के लिए-मूल्य और भुगतान शर्तों को लेकर विवाद पैदा हुआ

प्रत्यर्थी ने यह आरोप लगाते हुए हर्जाने का दावा किया कि उसे

उच्च दरों पर अन्य स्रोतों से लौह अयस्क के छर्रों-अपीलार्थी ने हर्जाने का भुगतान करने के दायित्व से इनकार कर दिया-प्रत्यर्थी ने यू / एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष धारा 11 (6) अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को इस आधार पर चुनौती दी कि पक्षकार इस बात पर सहमत हुए कि मध्यस्थता का स्थान भुवनेश्वर होगा और इसलिए, केवल उड़ीसा उच्च न्यायालय के पास है।

मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए विशेष अधिकार क्षेत्र-मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश को नियुक्त किए गए विवादित आदेश के माध्यम से उच्च न्यायालय

एकमात्र मध्यस्थ के रूप में-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाः एस के अनुसार। 2 (2) , भाग-मैं करूँगा

सभी मध्यस्थता पर लागू होता है जहाँ मध्यस्थता का स्थान भारत में है।

एस. 2 (1) (ई) अधिनियम के भाग-I के संदर्भ में "न्यायालय" को परिभाषित करता है और मध्यस्थता के स्थान को नियंत्रित करेगा-इसके अलावा, यू / एस. 2 (1) (ई), यदि

" वाद का विषय "मध्यस्थता क्षेत्राधिकार के भीतर स्थित है।

दो या दो से अधिक न्यायालयों में, पक्षकार सीमित करने के लिए सहमत हो सकते हैं -

सक्षम न्यायालयों में से एक में अधिकारिता-एस के तहत। 20 , पार्टियाँ

मध्यस्थता के स्थान पर सहमत होने के लिए स्वतंत्र हैं-पार्टी की स्वायत्तता है

दो या दो से अधिक सक्षम न्यायालयों में से एक न्यायालय का चयन करने वाले पक्षों के संदर्भ में समझा जाना

अधिकार क्षेत्र-जहाँ अनुबंध किसी विशेष स्थान पर न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को निर्दिष्ट करता है, केवल ऐसे न्यायालय के पास अधिकार क्षेत्र होगा।

मामले से निपटने के लिए-वर्तमान मामले में, पक्षकार इस बात पर सहमत हुए कि

मध्यस्थता का "स्थान" भुवनेश्वर में होगा-विचार करते हुए भुवनेश्वर को आयोजन स्थल के रूप में रखने वाले पक्षों का समझौता

मध्यस्थता, पक्षों का इरादा अन्य सभी न्यायालयों को बाहर करना है

"अनन्य अधिकार क्षेत्र", "केवल" जैसे शब्दों का गैर-उपयोग,

" अनन्य "", अकेले "निर्णायक नहीं है और कोई भौतिक अंतर नहीं करता है जब पक्षकारों ने" स्थल "रखने पर सहमति व्यक्त की

भुवनेश्वर में मध्यस्थता, मद्रास उच्च न्यायालय ने गलती की

अधिकारिता यू/मानते हुए एस. 11 (6)-चूंकि केवल उड़ीसा उच्च न्यायालय के पास यू/के तहत दायर याचिका पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र होगा। धारा 11 (6), विवादित आदेश को दरकिनार कर दिया गया है-पक्षकारों को मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए उड़ीसा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता है।

शब्द और अभिव्यक्तियाँ "सीट", "स्थान"-चर्चा की गई

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

मध्यस्थता का स्थान। [पैरा 9] [1147-ए] 1.2 बाल्को में, अदालत ने अधिनियम की धारा 20 (3) के संदर्भ में "सीट" और "स्थान" के बीच के अंतर पर प्रकाश डाला। अधिनियम की धारा 20 (3) पक्षों को पार्टियों द्वारा सहमत किसी भी स्थान पर बैठक, कार्यवाही और सुनवाई करने की अनुमति देती है। बाल्को में, अदालत ने माना है कि एक अंतरराष्ट्रीय विज्ञापन में

भारत के बाहर मध्यस्थता कार्यवाही आयोजित करना। हालाँकि, इसका मध्यस्थता की सीट को बदलने का प्रभाव नहीं पड़ेगा जो भारत में बनी रहेगी। अदालत तब एक ऐसी स्थिति की परिकल्पना करती है जहां मध्यस्थता समझौता एक विदेशी सीट को नामित करता है और मध्यस्थता अधिनियम, 1996 को भी लागू कानून के रूप में चुनता है। मध्यस्थता कार्यवाही का संचालन और ऐसी परिस्थितियों में, द्वारा निर्धारित स्थान पर आयोजित मध्यस्थता की सुनवाई

पक्षकारों पर मध्यस्थता की उस सीट को बदलने का प्रभाव नहीं पड़ेगा जो भारत में बनी रहेगी। [पैरा 11] [1147-डी-एफ] 1.3 अधिनियम की धारा 2 (1) (ई) "वाद का विषय" शब्द के संदर्भ में "न्यायालय" को परिभाषित करती है। अधिनियम की धारा 2 (1) (ई) के अनुसार, यदि "वाद का विषय" दो या दो से अधिक न्यायालयों के मध्यस्थता क्षेत्राधिकार के भीतर स्थित है, तो पक्षकार [2019] 9 एस. सी. आर.

सक्षम न्यायालयों में से किसी एक में अधिकार क्षेत्र को सीमित करने के लिए सहमत हो सकते हैं। बाल्को के पैरा (96) में, उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अधिनियम की धारा 2 (1) (ई) में "विषय-वस्तु" शब्द मध्यस्थता कार्यवाही पर पर्यवेक्षी नियंत्रण रखने वाले न्यायालय की पहचान करने के लिए है।

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अधिनियम की धारा 2 (1) (ई) के प्रावधानों को अधिनियम की धारा 20 के साथ पढ़ा जाना चाहिए जो "मध्यस्थता के स्थान" के रूप में पक्षों की स्वायत्तता को मान्यता देता है। [पैरा 12] [1148-जी-एच; 1149-ए-बी]

1.4 अधिनियम की धारा 20 के अनुसार, पक्ष मध्यस्थता के स्थान पर सहमत होने के लिए स्वतंत्र हैं। पार्टी की स्वायत्तता का अर्थ लगाया जाना चाहिए

पक्षकारों द्वारा ऐसे न्यायालय का चयन करने के संदर्भ में जिसकी अधिकारिता दो या दो से अधिक सक्षम न्यायालयों में से है। स्वास्तिक गैस (पी) लिमिटेड बनाम में तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले में यह स्पष्ट किया गया है। इंडियन ऑयल कार्पोरेशन। लिमिटेड [पारस 13] [1150 सी-डी]

1.5 जहां अनुबंध किसी विशेष स्थान पर न्यायालय की अधिकारिता को निर्दिष्ट करता है, केवल ऐसे न्यायालय के पास मामले से निपटने का अधिकार क्षेत्र होगा और पक्ष अन्य सभी न्यायालयों को बाहर करने का इरादा रखते हैं। वर्तमान मामले में, पक्षकार इस बात पर सहमत हुए हैं कि मध्यस्थता का "स्थान" भुवनेश्वर में होगा। इसे ध्यान में रखते हुए

अधिनियम की धारा 11 (6)। चूंकि केवल उड़ीसा उच्च न्यायालय के पास अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत दायर याचिका पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र होगा, इसलिए विवादित आदेश को दरकिनार किया जा सकता है। परिणामस्वरूप, मद्रास उच्च न्यायालय के विवादित आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है और इस अपील को स्वीकार कर लिया जाता है। पक्षों को संपर्क करने की स्वतंत्रता है उड़ीसा उच्च न्यायालय ने मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग की। [पारस 16-18] [1153-G-H; 1154-A-C]

भारत एल्यूमीनियम कं. वी. कैसर एल्यूमीनियम टेक्निकल सर्विसेज इंक. (2012) 9 एससीसी 552: [2012] 12 एससीआर 327

- पीछा किया।

ब्राह्मणी नदी पेल्लेट्स लिमिटेड। वी. कामाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड।

इंडस मोबाइल डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड v. डेटाविंड इनोवेशन्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य (2017) 7 एस. सी. सी. 678 [2017] 4 एस. सी. आर. 744; स्वास्तिक गैस (पी) लिमिटेड बनाम। इंडियन ऑयल कार्पोरेशन। लिमिटेड (2013) 9 एससीसी 32: [2013] 7 एससीआर 581-पर निर्भर। भारत संघ बनाम। हार्डी एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन (इंडिया) इंक. (2018) 7 एससीसी 374 [2018] 5 एससीआर 662; भाटिया इंटरनेशनल बनाम। थोक व्यापार एस. ए. और एक अन्य (2002) 4 एस. सी. सी. 105: [2002] 2 एससीआर 411; एनरकॉन (इंडिया) लिमिटेड और अन्य बनाम। एनरकॉन जी. एम. बी. एच. और अन्य

(2014) 5 एससीसी 1: [2014] 2 एससीआर 855; रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और एक अन्य बनाम। भारत संघ (2014) 7 एससीसी

603 [2014] 6 एस. सी. आर. 456-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2017] 4 एससीआर 744

उस पर भरोसा करें

पैरा 6

[2018] 5 एससीआर 662

संदर्भित किया गया है

पैरा 6

[2012] 12 एससीआर 327

पीछा किया।

पैरा 7

[2002] 2 एससीआर 411

संदर्भित किया गया है

पैरा 10

[2013 7 एससीआर 581

उस पर भरोसा करें

पैरा 13

[2014] 2 एससीआर 855

संदर्भित किया गया है

पैरा 15

[2014] 6 एससीआर 456

संदर्भित किया गया है

पैरा 15

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील No.58

2018 के ओ. पी. No.398 में मद्रास में उच्च डिकचर के निर्णय और आदेश दिनांक 02.11.2018 से।

रतन के. सिंह, सूरज प्रकाश, मृणाल लिटोरिया, रजत भर

रियांका सोलंकी, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

एस. शांतनम स्वामीनाथन, श्रीमती आरती राजन, अधिवक्ता। और भी।

19] 9 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

आर. भानुमति, जे.

1. छुट्टी दे दी गई।

2. क्या मद्रास उच्च न्यायालय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11 (6) के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकता है, इस तथ्य के बावजूद कि समझौते में यह खंड है कि मध्यस्थता का स्थान भुवनेश्वर होगा, इस अपील में विचार के लिए प्रश्न है।

3. जिन संक्षिप्त तथ्यों के कारण यह अपील दायर की गई, वे इस प्रकार हैं:

अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी के साथ एफओबी पर 40,000 डब्ल्यूएमटी (वेट मीट्रिक टन) लौह अयस्क छर्रों की बिक्री के लिए एक समझौता किया

शर्तें और भुगतान भुवनेश्वर में ऋण पत्र द्वारा किया जाना था। लोडिंग बंदरगाह धामरा बंदरगाह, भद्रक, ओडिशा था और गंतव्य चेन्नई/एन्नोर बंदरगाह, तमिलनाडु था। मूल्य और भुगतान की शर्तों के बारे में पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ और अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी को सामान नहीं दिया। प्रत्यर्थी ने नुकसान का दावा करते हुए आरोप लगाया कि उसे उच्च दरों पर अन्य स्रोतों से लौह अयस्क के छर्रों की खरीद करनी पड़ी। अपीलार्थी ने इस आधार पर हर्जाने का भुगतान करने के किसी भी दायित्व से इनकार किया कि अनुबंध को बाद में संशोधित किया गया था और प्रतिवादी ने अनुबंध की भौतिक शर्तों का उल्लंघन किया और इससे पक्षों के बीच विवाद हुआ।

4. पक्षों के बीच समझौते के खंड 18 में एक मध्यस्थता खंड है जो निम्नानुसार है:

" 18. मध्यस्थता भारतीय मध्यस्थता और सुलह कानून 1996 के तहत होगी और मध्यस्थता का स्थान भुवनेश्वर होगा।

5. 07.10.2016 पर प्रत्यर्थी ने मध्यस्थता खंड का आह्वान किया। अपीलार्थी मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए सहमत नहीं था। इसलिए, प्रतिवादी ने धारा 11 (6) के तहत 2018 का ओपी No.398 होने के नाते याचिका दायर की। एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए 24.01.2018 पर मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (संक्षेप में 'अधिनियम')। अपीलार्थी ने मद्रास उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को इस आधार पर चुनौती देने वाली याचिका का विरोध किया कि पक्षकार इस बात पर सहमत हुए हैं कि मध्यस्थता की सीट भुवनेश्वर हो और इसलिए, केवल उड़ीसा उच्च न्यायालय ब्राह्मणी नदी पेलेट लिमिटेड।

वी. कामाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड। [आर. भानुमति, जे.]

मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए विशेष अधिकार क्षेत्र है। मद्रास उच्च न्यायालय ने विवादित आदेश के माध्यम से मद्रास उच्च न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश को एकमात्र मध्यस्थ के रूप में यह अभिनिर्धारित करते हुए नियुक्त किया कि पक्षों द्वारा केवल "सीट" का पदनाम मध्यस्थता के स्थान के अलावा अन्य न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को समाप्त नहीं करता है। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अन्य न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को छोड़कर किसी भी स्पष्ट खंड के अभाव में, दोनों मद्रास उच्च न्यायालय और उड़ीसा उच्च न्यायालय के पास मध्यस्थता कार्यवाही पर अधिकार क्षेत्र होगा। विवादित आदेश को चुनौती देते हुए, अपीलार्थी ने इस अपील को प्राथमिकता दी है।

((2018) 7 एस. सी. सी. 374 और अन्य निर्णय। यह तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय ने समझौते के उस खंड (18) को अभिनिर्धारित करने में गलती की भुवनेश्वर में मध्यस्थता के स्थान पर न्यायालयों के अलावा अन्य न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं है। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने इंडस मोबाइल के अनुपात को लागू नहीं करने में गलती की, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि घरेलू मध्यस्थता के मामले में जहां पक्ष मध्यस्थता की सीट पर सहमत हुए हैं, उक्त अदालत के पास विशेष अधिकार क्षेत्र होगा।

भारत एल्यूमीनियम कंपनी बनाम कैसर एल्यूमीनियम टेक्निकल सर्विसेज इंक. (2012) 9 एससीसी 552। यह प्रस्तुत किया गया था कि घरेलू मध्यस्थता में, जब तक कि पक्ष समझौते में अदालत के एक विशेष अधिकार क्षेत्र से खुद को नहीं जोड़ते हैं, मध्यस्थता के स्थान के रूप में केवल "स्थान" का उल्लेख किया जाएगा। उस न्यायालय को अनन्य अधिकारिता प्रदान नहीं करता है। यह आग्रह किया गया कि मध्यस्थता के स्थान के रूप में केवल "स्थल" का उल्लेख करने के अलावा, [2019] 9 एस. सी. आर. होना चाहिए।

अन्य संगत परिस्थितियाँ जैसे "अकेले", "अनन्य", "केवल" आदि शब्दों का उपयोग या अन्य परिस्थितियाँ, तब केवल दूसरे न्यायालय की अधिकारिता को बाहर रखा जाएगा जो अन्यथा अधिकारिता होती। विवादित आदेश के माध्यम से हमें ले जाने के लिए विद्वान वकील प्रत्यर्थी ने प्रस्तुत किया कि केवल "मध्यस्थता का स्थान भुवनेश्वर होगा" अभिव्यक्ति का कोई विशेष महत्व नहीं होगा और उच्च न्यायालय ने मध्यस्थ की नियुक्ति में अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का सही उपयोग किया।

8. हमने दोनों पक्षों की दलीलों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और विवादित आदेश और उनके द्वारा दिए गए निर्णयों का अध्ययन किया है।

पार्टियाँ।

9. अधिनियम की धारा 2 (2) के अनुसार, भारत में होने वाले मध्यस्थता अधिनियम के भाग-1 द्वारा शासित होते हैं। "अदालत" जिसके पास होगा

अधिनियम की धारा 2 (1) (ई) द्वारा परिभाषित मध्यस्थता की विषय वस्तु बनाने वाले प्रश्नों को तय करने का अधिकार क्षेत्र "न्यायालय" है जो निम्नानुसार हैः

2. परिभाषाएँ। – (1) इस भाग में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा न हो

((ङ) "न्यायालय" का अर्थ है
(i) अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के अलावा किसी मध्यस्थता के मामले में, किसी जिले में मूल अधिकार क्षेत्र का प्रमुख दीवानी न्यायालय, और अपने सामान्य मूल दीवानी अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय को शामिल करता है, जिसे मध्यस्थता के विषय-वस्तु को बनाने वाले प्रश्नों पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र है, यदि वह किसी मुकदमे का विषय था, लेकिन इसमें ऐसे प्रमुख दीवानी न्यायालय से निम्न श्रेणी का कोई दीवानी न्यायालय या कोई लघु कारण न्यायालय शामिल नहीं है।

((ii) अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के मामले में, उच्च न्यायालय अपने सामान्य मूल नागरिक अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए,

मध्यस्थता का विषय बनाने वाले प्रश्नों का निर्णय करने की अधिकारिता-यदि वही विषय था-एक मुकदमे का विषय,

और अन्य मामलों में, एक उच्च न्यायालय जिसे उस उच्च न्यायालय के अधीनस्थ डिक्री या न्यायालयों से अपील सुनने का अधिकार क्षेत्र है।

ब्राह्मणी नदी पेल्लेट्स लिमिटेड। वी. कामाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड। [आर. भानुमति, जे.]

अधिनियम की धारा 2 (2) के अनुसार, भाग-I उन सभी मध्यस्थता पर लागू होगा जहां मध्यस्थता का स्थान भारत में है। अधिनियम की धारा 2 (1) (ई)

अधिनियम के भाग-I के संदर्भ में "न्यायालय" को परिभाषित करता है और इसे शासित करेगा।

मध्यस्थता का स्थान।

10. बाल्को में, संविधान पीठ के समक्ष यह मुद्दा उठा कि क्या अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता में जिसका न्यायिक या

मध्यस्थता का कानूनी स्थान भारत के बाहर था कि क्या अधिनियम के भाग-I के प्रावधान राहत देने के लिए लागू होंगे जैसा कि भाटिया इंटरनेशनल v में माना गया है। बल्क ट्रेडिंग एस. ए. और दूसरा (2002) 4 एस. सी. सी. 105। बाल्को में संविधान पीठ ने कहा कि "यदि कानूनी या न्यायिक मध्यस्थता का स्थान भारत से बाहर है, तो मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 का भाग-I ऐसे मध्यस्थताओं के लिए लागू नहीं होगा; और यहां तक कि यदि मध्यस्थता समझौते में कोई खंड निम्नलिखित का तात्पर्य रखता है -

1996 के अधिनियम के भाग-I को एक मध्यस्थता पर लागू करें जहां मध्यस्थता का न्यायिक स्थान भारत के बाहर है, भाग-I उस सीमा तक लागू नहीं होगा जो मध्यस्थता के स्थान के मध्यस्थता कानून के साथ असंगत है। 1 11. बाल्को में, अदालत ने अधिनियम की धारा 20 (3) के संदर्भ में "सीट" और "स्थान" के बीच के अंतर पर प्रकाश डाला। अधिनियम की धारा 20 (3) पक्षों को पार्टियों द्वारा सहमत किसी भी स्थान पर बैठक, कार्यवाही और सुनवाई करने की अनुमति देती है। बाल्को में, अदालत ने माना है कि भारत में "बैठे" एक अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता में, पक्ष आपसी समझौते से, भारत के बाहर मध्यस्थता कार्यवाही कर सकते हैं।

मध्यस्थता कार्यवाही का संचालन और ऐसी परिस्थितियों में, पक्षों द्वारा निर्धारित स्थान पर आयोजित मध्यस्थता की सुनवाई नहीं होगी। मध्यस्थता की सीट को बदलने का प्रभाव पड़ता है जो भारत में रहेगा। पैरा (100) में उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 100. यह सच है कि एक अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता में, भारत में एक सीट होने के कारण, भारत के बाहर सुनवाई की आवश्यकता हो सकती है। ऐसी परिस्थितियों में, मध्यस्थता की सुनवाई पक्षों द्वारा निर्धारित स्थान पर आयोजित की जाएगी, लेकिन इसका प्रभाव मध्यस्थता के स्थान को बदलने पर नहीं पड़ेगा जो भारत में रहेगा।

' भारत एल्यूमीनियम कं. वी. कैसर एल्यूमीनियम टेक्निकल सर्विसेज इंक. (2012) 9 एस. सी. सी. 552 [2019] 9 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस संबंध में कानूनी स्थिति का सारांश रेडफर्न एंड हंटर, द लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन (1986) पी। 69 "मध्यस्थता का स्थान" शीर्षक के तहत निम्नलिखित अंश में:

"आसन" [धारा 20 (1) और 20 (2)] और "स्थान" [धारा 20 (3)] के बीच विचार और अंतर। हम यहाँ यह बता सकते हैं कि "सीट" और "स्थल" के बीच का अंतर काफी होगा। महत्वपूर्ण स्थिति में, मध्यस्थता समझौता किसी विदेशी देश को मध्यस्थता की "सीट"/"स्थान" के रूप में नामित करता है और यह भी चुनता है

मध्यस्थता अधिनियम, 1996 क्यूरिअल कानून/कानून के रूप में

मध्यस्थता कार्यवाही। यह निर्माण का मामला होगा

यह तय करने के लिए व्यक्तिगत समझौता कि क्या:

(i) निर्दिष्ट विदेशी "सीट" को वास्तव में केवल एक "स्थान"/"स्थान" के रूप में पढ़ा जाएगा जहां मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के चयन को देखते हुए सुनवाई की जाएगी। क्यूरियल कानून, या

((ii) किसी विदेशी सीट का विशिष्ट पदनाम, जो अनिवार्य रूप से उस देश के मध्यस्थता/क्यूरियल कानून के विकल्प को अपने साथ ले जाता है, परस्पर विरोधी चयन पर हावी होगा और उसे समाहित कर लेगा।

मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के पक्षों द्वारा चयन।

केवल तभी जब पक्षों के समझौते को प्रदान करने के लिए माना जाता है

मध्यस्थता का "स्थान" भारत में होना-मध्यस्थता अधिनियम, 1996 का भाग I लागू होगा। यदि समझौता किया जाता है

भारत के बाहर एक "सीट"/"स्थान" का प्रावधान करने के लिए, भाग I होगा

के मध्यस्थता कानून के साथ असंगत सीमा तक लागू नहीं

सीट, भले ही समझौते का उद्देश्य यह प्रदान करना हो कि

मध्यस्थता अधिनियम, 1996 मध्यस्थता कार्यवाही को नियंत्रित करेगा।

अधिनियम के 2 (1) (ई) पर, यदि "वाद का विषय" दो या दो से अधिक न्यायालयों के मध्यस्थ अधिकार क्षेत्र में स्थित है, तो पक्षकार कर सकते हैं -अधिकारिता को सक्षम न्यायालयों में से किसी एक में सीमित करना। बाल्को के पैरा में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि "विषय-वस्तु" शब्द

ब्राह्मणी नदी पेल्लेट्स लिमिटेड। वी. कामाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड। [आर. भानुमति, जे.]

अधिनियम की धारा 2 (1) (ई) उस न्यायालय की पहचान करने के लिए है जो मध्यस्थता कार्यवाही पर पर्यवेक्षी है। उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अधिनियम की धारा 2 (1) (ई) में दिए गए प्रावधानों को अधिनियम की धारा 20 के संयोजन में पढ़ा जाना चाहिए जो अधिनियम की स्वायत्तता को मान्यता देती है।यह "मध्यस्थता के स्थान" के बारे में है। अधिनियम के भाग-I द्वारा शासित मध्यस्थताओं से संबंधित सी. ओ. में पैरा सं. (96) की टिप्पणियाँ, अर्थात जहाँ भारत में मध्यस्थता का स्थान निम्नानुसार हैः

" 96. ..... हमारी राय है, "विषय-वस्तु" शब्द

मध्यस्थता को विषय-वस्तु के साथ "भ्रमित नहीं किया जा सकता"

सूट "। धारा 2 (1) (ई) में "विषय-वस्तु" शब्द भाग I तक ही सीमित है।

विवाद का समाधान। इसका उद्देश्य उन न्यायालयों की पहचान करना है जिनके पास मध्यस्थता कार्यवाही पर पर्यवेक्षी नियंत्रण। इसलिए यह

यह एक ऐसे न्यायालय को संदर्भित करता है जो अनिवार्य रूप से मध्यस्थता प्रक्रिया के केंद्र का न्यायालय होगा। हमारी राय में, धारा में प्रावधान 2 (1) (ई) में प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए समझा जाना चाहिए

धारा 20 जो पार्टी की स्वायत्तता को मान्यता देती है। स्वीकार करना।

विद्वान वकील द्वारा अनुमानित संकीर्ण निर्माण अपीलार्थी, वास्तव में, धारा 20 को निरर्थक बना देंगे। हमारे विचार में, विधायिका ने जानबूझकर दो अदालतों को अधिकार क्षेत्र दिया है

अर्थात् वह न्यायालय जिसके पास अधिकारिता होगी जहाँ

कार्रवाई स्थित है और अदालतें जहां मध्यस्थता होती है। यह आवश्यक था क्योंकि कई अवसरों पर समझौता हो सकता है

होने पर पर्यवेक्षी नियंत्रण का प्रयोग करने की आवश्यकता होगी मध्यस्थता प्रक्रिया। उदाहरण के लिए, यदि मध्यस्थता दिल्ली में आयोजित की जाती है,

जहाँ दोनों में से कोई भी दल दिल्ली से नहीं है, (दिल्ली से हैं)

मुंबई से एक पार्टी के बीच एक तटस्थ स्थान के रूप में चुना गया और

दूसरा कोलकाता से) और दिल्ली में बैठे न्यायाधिकरण ने एक पारित किया

मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 17 के तहत अंतरिम आदेश धारा 37 के तहत इस तरह के अंतरिम आदेश के खिलाफ अपील

दिल्ली की अदालतें पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र वाली अदालतें हैं

मध्यस्थता कार्यवाहियों और न्यायाधिकरण पर। यह होगा

इस तथ्य के बावजूद कि दायित्वों का पालन किया जाना है

अनुबंध या तो मुंबई या कोलकाता में किया जाना था, और केवल दिल्ली में मध्यस्थता होनी थी। ऐसी परिस्थितियों में, [2019] 9 एस. सी. आर.

दोनों न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र होगा अर्थात वह न्यायालय जिसके अधिकार क्षेत्र में वाद का विषय स्थित है और वे न्यायालय जिनके अधिकार क्षेत्र में विवाद समाधान अर्थात मध्यस्थता स्थित है।

पैरा सं. (96) में उपरोक्त टिप्पणियां इस संदर्भ में हैं कि कई अवसरों पर, समझौते में मध्यस्थता का स्थान प्रदान किया जा सकता है -

ऐसा स्थान जो दोनों पक्षों के लिए तटस्थ हो। ऐसी परिस्थितियों में, यह देखा गया कि दोनों न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र होगा-वह न्यायालय जिसके अधिकार क्षेत्र में वाद का "विषय-वस्तु" स्थित है और वह न्यायालय जिसके अधिकार क्षेत्र में विवाद समाधान अर्थात मध्यस्थता का "स्थान" स्थित है।

13. अधिनियम की धारा 20 के अनुसार, पक्ष मध्यस्थता के स्थान पर सहमत होने के लिए स्वतंत्र हैं। पार्टी की स्वायत्तता को इस संदर्भ में समझा जाना चाहिए ऐसे न्यायालय का चयन करने वाले पक्षों की, जिसके अधिकार क्षेत्र में दो या दो से अधिक सक्षम न्यायालय हैं। इस में स्पष्ट किया गया है कि

तीन-स्वास्तिक गैस (पी) लिमिटेड बनाम में न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय। इंडियन ऑयल कार्पोरेशन। लिमिटेड (2013) 9 एससीसी 32. उक्त मामले में, प्रतिवादी-इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने मेसर्स को नियुक्त किया। स्वास्तिक गैस (पी) लिमिटेड जयपुर, राजस्थान में उनके खेप एजेंट के रूप में स्थित है। पक्षकारों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ क्योंकि स्नेहक का भारी मात्रा में भंडार आवेदक द्वारा नहीं बेचा जा सका और उन्हें सौहार्दपूर्ण ढंग से हल नहीं किया जा सका। उक्त मामले में, पक्षों के बीच समझौते के खंड 18 में प्रावधान किया गया है कि

समझौता कोलकाता के न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा।

अपीलार्थी-स्वास्तिक ने खंड 18-मध्यस्थता खंड का आह्वान किया और मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत आवेदन दायर किया। प्रत्यर्थी ने अन्य बातों के साथ-साथ इस मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की कमी की याचिका उठाकर स्वास्तिक द्वारा किए गए आवेदन का विरोध किया। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की याचिका थी कि समझौता कोलकाता की अदालतों के अधिकार क्षेत्र के अधीन किया गया है और राजस्थान उच्च न्यायालय में अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत आवेदन से निपटने में क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र का अभाव है। नामित न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि राजस्थान उच्च न्यायालय के पास आवेदन पर विचार करने के लिए क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नहीं है

अधिनियम की धारा 11 (6) और स्वास्तिक को कलकत्ता उच्च न्यायालय में मध्यस्थता आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता दी, जिसके आदेश को चुनौती दी गई

उच्चतम न्यायालय के समक्ष। यह इंगित करते हुए कि "अकेले", "केवल", "अनन्य" या "अनन्य अधिकार क्षेत्र" जैसे शब्दों का उपयोग ब्राह्मणी नदी पिलेट्स लिमिटेड में नहीं किया गया है।

वी. कामाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड। [आर. भानुमति, जे.]

उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया कि इस तरह के शब्दों का उपयोग और प्रयोग निर्णायक नहीं है और इस तरह के शब्दों का उपयोग न करने से समझौते के खंड 18 के कारण ई. एस. के इरादे के बारे में कोई भौतिक अंतर नहीं पड़ता है कि कोलकाता की अदालतों को अधिकार क्षेत्र प्राप्त है।

" 31. तत्काल मामले में, अपीलार्थी इस बात पर विवाद नहीं करता है कि कार्रवाई का कारण कोलकाता में उत्पन्न हुआ है। क्या कहता है याचिकाकर्ता

कार्रवाई के कारण का वह हिस्सा जयपुर में भी उत्पन्न हुआ है और इसलिए,

राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या नामित

धारा 11 के तहत मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए अपीलार्थी। 1996 की धारा 11 (12) (बी) और धारा 2 (ई) को ध्यान में रखते हुए संहिता की धारा 20 (सी) के साथ पढ़ा गया अधिनियम, इसमें कोई संदेह नहीं है

कि राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश या नामित न्यायाधीश

इस मामले में उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है। सवाल यह है कि क्या

जयपुर के न्यायालयों की अधिकारिता को बाहर करें या, दूसरे शब्दों में, क्या समझौते के खंड 18 को देखते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अधिकारिता को बाहर रखा गया है? 32. उपरोक्त प्रश्न के उत्तर के लिए, हमें समझौते में अधिकारिता खंड के प्रभाव को देखना होगा जो यह प्रावधान करता है कि समझौता कोलकाता में अदालतों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा।

यह एक तथ्य है कि अधिकारिता खंड के लिए प्रावधान करते हुए

"अकेले", "केवल", "अनन्य" या "अनन्य" जैसे शब्दों को सहमत करें।

अधिकार क्षेत्र का उपयोग नहीं किया गया है, लेकिन हमारे विचार में यह निर्णायक नहीं है और इससे कोई भौतिक अंतर नहीं पड़ता है। पक्षकारों का इरादा-समझौते में खंड 18 होने से-स्पष्ट और स्पष्ट है कि कोलकाता की अदालतों का अधिकार क्षेत्र होगा जिसका अर्थ है कि अकेले कोलकाता की अदालतों का अधिकार क्षेत्र होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि अधिकारिता खंड के निर्माण के लिए, समझौते में खंड 18 की तरह, अधिकतम अभिव्यक्ति एक अपवाद है।

खेल में आता है क्योंकि इसके विपरीत संकेत देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस कानूनी उक्ति का अर्थ है कि एक की अभिव्यक्ति दूसरे का बहिष्कार है। यह प्रावधान करके कि समझौता कोलकाता में अदालतों के अधिकार क्षेत्र के अधीन है, पक्षों ने निहित रूप से कहा है

अन्य न्यायालयों की अधिकारिता को बाहर रखा गया। कहां हुआ अनुबंध

किसी विशेष स्थान पर न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को निर्दिष्ट करता है और

ऐसी अदालतों के पास मामले से निपटने का अधिकार क्षेत्र है, हम सोचते हैं कि [2019] 9 एस. सी. आर.

एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पक्षकार अन्य सभी न्यायालयों को बाहर करने का इरादा रखते हैं। इस तरह का खंड अनुबंध अधिनियम की धारा 23 से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता है। ऐसा खंड न तो कानून द्वारा निषिद्ध है और न ही यह सार्वजनिक नीति के खिलाफ है। यह धारा 28 का उल्लंघन नहीं करता है।

किसी भी तरह से अनुबंध अधिनियम। 33. उपरोक्त दृष्टिकोण को हकम सिंह बनाम में इस न्यायालय के निर्णयों से समर्थन मिलता है। गैमन इंडिया लिमिटेड (1971) 1 एस. सी. सी. 286 ए. बी. सी. लैमिनार्ट प्राइवेट लिमिटेड बनाम ए. बी. सी. एजेंसियाँ (1989) 2

एस. सी. सी. 163, R.S.D.V. वित्त निगम निजी लिमिटेड बनाम. श्री वल्लभ ग्लास वर्क्स लिमिटेड (1993) 2 एस. सी. सी. 130, एंजाइल

इन्सुलेशन वी। डेवी एशोमोर इंडिया लिमिटेड (1995) 4 एस. सी. सी. 153,

श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम राम।

मिश्रा (2002) 9 एस. सी. सी. 613, हनिल एरा टेक्सटाइल्स लिमिटेड बनाम।

पुरोमैटिक फिल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड (2004) 4 एस. सी. सी. 671 और बालाजी कोक इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड बनाम। माँ भगवती कोक गुजरात

प्राइवेट लिमिटेड (2009) 9 एससीसी 403 "। [रेखांकित करना जोड़ा गया]

14. स्वास्तिक में, उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि समझौते के खंड (18) को अनुबंध अधिनियम की धारा 23 द्वारा प्रभावित नहीं किया जाएगा और यह है

कानून द्वारा निषिद्ध नहीं है और न ही यह सार्वजनिक नीति के खिलाफ है। यह इस प्रकार अभिनिर्धारित किया गया था कि अधिनियम की धारा 20 के अनुसार, पक्ष मध्यस्थता का स्थान चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। इस "पक्ष की स्वायत्तता" का अर्थ अधिनियम की धारा 2 (1) (ई) के तहत सक्षम अधिकार क्षेत्र वाले दो या दो से अधिक न्यायालयों में से अदालत चुनने के संदर्भ में लगाया जाना चाहिए।

15. इंडस मोबाइल डिस्ट्रीब्यूशन (पी) लिमिटेड के मामले में "सीट" और "मध्यस्थता के स्थान" के बीच अंतर-खेल विचार के लिए आया।

वी. डेटाविंड इनोवेशन्स (पी) लिमिटेड और अन्य (2017) 7 एस. सी. सी. 678। बाल्को, एनरकॉन (इंडिया) लिमिटेड और अन्य का उल्लेख करने के बाद v. एनरकॉन जी. एम. बी. एच. और एक अन्य (2014) 5 एस. सी. सी. 1 और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और एक अन्य वी. भारत संघ (2014) 7 एस. सी. सी. 603 और विधि आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अधिनियम में संशोधन, पीठ न्यायमूर्ति नरीमन की ओर से बोलते हुए निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गयाः

" 18. हालांकि, संशोधित अधिनियम में उपरोक्त संशोधन शामिल नहीं हैं, संभवतः इसलिए कि बी. ए. एल. सी. ओ. (2012) 9 एस. सी. सी. 552 के निर्णय में अधिनियम की धारा 2 (2) के उद्देश्य के लिए "स्थान" को "न्यायिक स्थान" के रूप में संदर्भित किया गया है। इसने आगे यह स्पष्ट किया कि धारा 20 (1) और 20 (2) जहां "स्थान" शब्द ब्राह्मणी नदी पेलेट लिमिटेड है।

वी. कामाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड। [आर. भानुमति, जे.]

उच्चतम न्यायालय की पीठ पहले ही कर चुकी है अधिनियम का निर्माण।

19. उपरोक्त सभी प्रावधानों के संदर्भ से पता चलता है कि

जिस क्षण सीट नामित की जाती है, यह एक अनन्य अधिकार क्षेत्र खंड के समान होता है। वर्तमान मामले के तथ्यों पर, यह स्पष्ट है कि

मध्यस्थता मुंबई में है और खंड 19 आगे यह स्पष्ट करता है कि

अधिकार क्षेत्र विशेष रूप से मुंबई की अदालतों में निहित है। कानून के तहत

मध्यस्थता, सिविल प्रक्रिया संहिता के विपरीत जो लागू होती है

अदालतों में दायर मुकदमों के लिए, "सीट" का संदर्भ एक अवधारणा है जिसके द्वारा

मध्यस्थता के लिए पक्षकारों द्वारा एक तटस्थ स्थान चुना जा सकता है।

खंड। शास्त्रीय अर्थों में तटस्थ स्थल का अधिकार क्षेत्र नहीं हो सकता है-अर्थात, कार्रवाई के कारण का कोई भी हिस्सा तटस्थ स्थान पर उत्पन्न नहीं हुआ होगा और न ही कोई प्रावधान होगा।

सी. पी. सी. की धारा 16 से 21 को आकर्षित किया जाना चाहिए। मध्यस्थता कानून में हालाँकि, जैसा कि ऊपर कहा गया है, "सीट" का समय निर्धारित किया जाता है।

यह तथ्य कि सीट मुंबई में है, मुंबई अदालतों को निहित करेगा

मध्यस्थता को विनियमित करने के उद्देश्यों के लिए अनन्य अधिकार क्षेत्र के साथ पक्षों के बीच समझौते से उत्पन्न होने वाली कार्यवाही।

20. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि जहां एक से अधिक न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र है,

यह पक्षकारों के लिए अन्य सभी न्यायालयों को बाहर करने के लिए खुला है। एक के लिए मामले के कानून का विस्तृत विश्लेषण, स्वास्तिक गैस (पी) लिमिटेड v. देखें। इंडियन ऑयल कार्पोरेशन। लिमिटेड (2013) 9 एस. सी. सी. 32 बी. ई. सिमोइस वॉन स्टारबर्ग निडेन्थल बनाम में हाल के एक फैसले में इसका पालन किया गया था। छत्तीसगढ़ इन्वेस्टमेंट लिमिटेड (2015) 12 एस. सी. सी. 225 उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि अकेले मुंबई की अदालतों के पास देश के अन्य सभी न्यायालयों को बाहर करने का अधिकार क्षेत्र है, क्योंकि मध्यस्थता का न्यायिक केंद्र मुंबई में है। यह मामला होने के नाते, विवादित

निर्णय को दरकिनार कर दिया जाता है। ..... ” [रेखांकित करना जोड़ा गया]

16. जहां अनुबंध किसी विशेष स्थान पर न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को निर्दिष्ट करता है, केवल ऐसे न्यायालय के पास इस मामले से निपटने का अधिकार क्षेत्र होगा।

और पक्षकार अन्य सभी न्यायालयों को बाहर करने का इरादा रखते हैं। वर्तमान में पक्षकार इस बात पर सहमत हुए हैं कि मध्यस्थता का "स्थान" होगा

एनेश्वर। [2019] 9 एस. सी. आर. रखने वाले पक्षों के समझौते को ध्यान में रखते हुए।

भुवनेश्वर मध्यस्थता के स्थल के रूप में, पक्षों का इरादा अन्य सभी न्यायालयों को बाहर करना है। जैसा कि स्वास्तिक में कहा गया है, "अनन्य अधिकार क्षेत्र", "केवल", "अनन्य", "अकेले" जैसे शब्दों का उपयोग न करना निर्णायक नहीं है और इससे कोई भौतिक अंतर नहीं पड़ता है।

17. जब पक्ष भुवनेश्वर में मध्यस्थता का "स्थान" रखने के लिए सहमत हुए, तो मद्रास उच्च न्यायालय ने अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत अधिकार क्षेत्र ग्रहण करने में गलती की। चूंकि केवल उड़ीसा उच्च न्यायालय के पास अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत दायर याचिका पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र होगा, इसलिए विवादित आदेश को दरकिनार किया जा सकता है।

18. परिणामस्वरूप, 2018 के ओ. पी. No.398 दिनांक 02.11.2018 में मद्रास उच्च न्यायालय के विवादित आदेश को दरकिनार कर दिया गया है और यह अपील है

अनुमति दी गई। पक्षकारों को मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए उड़ीसा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता है।

अपील की अनुमति दी गई।

दिव्या पांडे